

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, SURAIYA SYED KADER ध. प. MOHAMMED MAZHAR ANIS, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6-बी, सड़क-21, वार्ड नं.-42, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, व अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम Suraiya S. Kader, MS Suraiya S. Kader दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम Suraiya Syed Kader रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह वास्तविक नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे SURAIYA SYED KADER ध. प. MOHAMMED MAZHAR ANIS के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

SURAIYA S. KADER
MS SURAIYA S. KADER
पति-MOHAMMED MAZHAR ANIS
निवासी-क्वा. नं.-6-बी,
सड़क-21, वार्ड नं.-42,
सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

SURAIYA SYED KADER
पति-MOHAMMED MAZHAR ANIS
निवासी-क्वा. नं.-6-बी,
सड़क-21, वार्ड नं.-42,
सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख फिरदौस आत्मज स्व. शेख मनीरूल इस्लाम, उम्र 65 वर्ष, निवासी-स्ट्रीट नं.-18, पंचशील 'ए' कॉलोनी, साई मंगलम के पास, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ, मेरी जन्म तिथि 15-07-1954 है यह कि साबल सिंगपुर, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) में मेरे नाम की जमीन के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम firdosh Islam, Sheikh firdosh Islam आत्मज Manirul Islam, Manidel Islam, Sheikh Manijul Islam तथा दुर्ग (छ. ग.) में मेरे नाम की संपत्ति के दस्तावेजों में शेख फिरदौस इस्लाम, गैस कनेक्शन में Sk firdosh तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Sk firdous Islam दर्ज है जो कि अपूर्ण व स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक व पूर्ण नाम शेख फिरदौस (Sheikh firdosh) आत्मज स्व. शेख मनीरूल इस्लाम (Late Sheikh Manirul Islam) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शेख फिरदौस (Sheikh firdosh) आत्मज स्व. शेख मनीरूल इस्लाम (Late Sheikh Manirul Islam) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Firdosh Islam,
Sheikh firdosh Islam
शेख फिरदौस इस्लाम,
Sk firdosh
Sk firdous Islam
पिता- Manirul Islam,
Manidel Islam,
Sheikh Manijul Islam
निवासी-स्ट्रीट नं.-18,
पंचशील 'ए' कॉलोनी,
साई मंगलम के पास,
बोरसी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शेख फिरदौस
Sheikh firdosh
पिता- स्व. शेख मनीरूल इस्लाम
S/o- Late Sheikh Manirul Islam,
निवासी-स्ट्रीट नं.-18,
पंचशील 'ए' कॉलोनी,
साई मंगलम के पास,
बोरसी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार पटेल आत्मज स्व. चंद्रभान पटेल, उम्र 51 वर्ष, निवासी-एफ-13, सी. एस. ई. बी. कालोनी, डंगनिया, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ, यह कि मैं छ. ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, डंगनिया रायपुर में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार सिंह आ. स्व. चंद्रभान सिंह था, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम चंद्रभान पटेल है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम "सिंह" को परिवर्तित कर अन्य उपनाम "पटेल" जोड़कर नया नाम/उपनाम अशोक कुमार पटेल आत्मज स्व. चंद्रभान पटेल रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अशोक कुमार पटेल आत्मज स्व. चंद्रभान पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अशोक कुमार सिंह
पिता-स्व. चंद्रभान सिंह
निवासी-एफ-13, सी. एस. ई. बी.
कालोनी, डंगनिया,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अशोक कुमार पटेल
पिता-स्व. चंद्रभान पटेल
निवासी-एफ-13, सी. एस. ई. बी.
कालोनी, डंगनिया,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनेश्वर कुमार साहू आत्मज स्व. रामरतन साहू, उम्र 40 वर्ष, जाति तेली, निवासी-आर. डी. ए. कालोनी के पास, आमनगर, बोरियाखुर्द, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम धनेश्वर कुमार आ. श्री रामरतन दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम रामरतन साहू है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर नया/पूर्ण नाम/उपनाम धनेश्वर कुमार साहू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे धनेश्वर कुमार साहू आत्मज स्व. रामरतन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

धनेश्वर कुमार
पिता-श्री रामरतन
निवासी-आर. डी. ए.
कालोनी के पास, आमनगर,
बोरियाखुर्द, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

धनेश्वर कुमार साहू
पिता-स्व. रामरतन साहू
निवासी-आर. डी. ए.
कालोनी के पास, आमनगर,
बोरियाखुर्द, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2020

क्रमांक/परि./1077.—इस कार्यालय के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. बिन्द सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	विकास खंड
1.	उत्तम ईटभट्टा सहकारी समिति मर्या. सकरी	3448/02-12-1997	तखतपुर
2.	चिमनी ईटभट्टा सहकारी समिति मर्या. अरईबंद	3491/10-12-1991	तखतपुर
3.	तिलक बुनकर सहकारी समिति मर्या. तखतपुर	1966/11-3-58	तखतपुर
4.	इंदिरा गांधी उद्वहन सिंचाई सह. समि. काठाकोनी	3005/28-3-73	तखतपुर
5.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या. ढनढन	3471/26-10-85	तखतपुर
6.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या. मोछ	3143/26-10-1987	तखतपुर

यह आदेश आज दिनांक 26-6-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया।

मंजू महेन्द्र पाण्डेय,
उप पंजीयक.